ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गदियाड़ा विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुमन स्याल	1.4.2013 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री सुरजीत कटोच	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर	0.19
2.	5	पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली न करना	0.16
3.	6	अनुदानों का उपयोग न करना	6.41
4.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक, स्टोर का क्रय करना	3.11

5.	9	क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना	3.33
6.	10	व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे	0.51

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 1.8.2016 से 4.8.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 3/14, 3/15, 3/16 व 7/13, 8/14, 6/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 176, दिनांक 4.8.2016 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या : 941069, दिनांक 19.8.2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	58140	62022	120162	13796	106366
2014–15	106366	112166	218532	37568	180964
2015–16	180964	40262	221226	20176	201050

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1'** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	236928	2875665	3112593	3063126	49467
2014–15	49467	2639579	2689046	2395930	293116
2015–16	293116	2601254	2894370	2253541	640829

4. 1 बैंक समाधान विवरणी :–

<u>स्वः स्त्रोत :–</u>

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	:₹201050

<u>अनुदान :–</u>

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष	₹640829
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में शेष	₹821509
हस्तगत राशि	₹960
अन्तर	₹19410

बैंक खाता संख्या	**राशि**
MNREGA, HGB–757	0
VKNY, HDFC–747	1103.00
Relief Fund, HDFC–0720	92782.00
IAY, HDFC–0489	71.46
RAY/AAY, HDFC–0462	333.85

Water Shed, KCCB–10977	58.00
13th F.C.-HDFC–0479	70296.92
General, Own Source, KCCB–4883	656864
कुल राशि	**₹821509.23**

4.2 रोकड़ वही व बैंक खाते में ₹19410 के अन्तर बारे :–

(क) जांच में पाया कि पंचायत General Grant, Own Source Income, VKNY एवं Relief Fund में प्राप्त आय व अनुदान को खाता संख्या : KCCB–4883, HDFC–747 व HDFC–720 में जमा करवाया गया था, लेकिन समय–समय पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष में नहीं किया गया था, जिस कारण दिनांक 31.3.2016 को ₹17904 का अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही का शेष :	**दिनांक 31.3.2016 को बैंक में शेष :**
General, VKNY, Relief Fund, ₹568563.00	KCCB–4883 ₹656864
Own Source, ₹201050.00	HDFC–747 ₹1103.00
	HDFC–0720 ₹92782.00
	Cash in Hand ₹950.00
Total ₹769613	**₹751699**

अतः उक्त अन्तर की राशि ₹17904 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करना सुनिश्चित करें व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाएं।

(ख) जांच में पाया कि पंचायत में मनरेगा के खाता संख्या : HGB –0757 में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशि शून्य थी, जबकि रोकड़ वही की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.3.2016 को ₹1506 था। अतः बैंक में कम जमा राशि ₹1506 बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

4.3 रोकड़ वही बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत गदियाड़ा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः

पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :–

जांच में पाया कि पंचायत के अधिकतर खाते निजी बैंक एच0डी0एफ0सी0 बैजनाथ में खोले गए थे, जोकि वित्त विभाग के पत्र संख्या : Fin-IF(A)1–68/91–V, दिनांक 17.4.2014 में दिए गए दिशा–निर्देशों की अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें।

4.5 जांच में पाया कि पंचायत के नाम बैंक खाता संख्या : 20016010230 (KCCB Baijnath) में दिनांक 31.3.2016 को ₹39166 जमा थे, लेकिन इस खाते का रख–रखाव रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन–देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख–रखाव के उद्धेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया, जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उद्धेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएं एवं इसका रख–रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें।

4.6 रोकड़ वही का निर्माण नियमानुसार न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई बजट संहिता संख्याः 1 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जाएंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जाएगा। यह खाता पंचायत निधि खाता–क के रूप में जाना जाएगा। इसी तरह नियम–3 में संहिता संख्याः 51 से 99 में वर्णित प्राप्त सहायता अनुदान, विशेष प्रयोजनों के लिए आवंटित निधियां और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के लिए पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि खाता–ख जाना जाएगा, परन्तु जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ वही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है, जोकि अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ वही का रख–रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता–क व ख के अनुरूप रोकड़ वही का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 1.4.2009 से 31.3.2016 तक नहीं की गई थी, जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है, क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है। अतः गृहकर की मांग नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹15765 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मंग की जानी अपेक्षित	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	3255	12960	16215	8705	7510
2014–15	7510	22300	29810	11000	18810
2015–16	18810	24450	43260	29730	13530

2. गृहकर के रूप में वसूल की गई ₹2235 कम जमा करना :–

जांच में पाया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान विभिन्न रसीदों के अन्तर्गत ₹51670 गृहकर के रूप में वसूल किए गए थे, लेकिन रोकड़ वही में केवल ₹49435 ही दर्ज किए गए व जमा करवाए गए थे। इस प्रकार ₹2235 (51670–49435) गृहकर के रूप में कम जमा करवाए गए थे, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

वर्ष	रसीद संख्या	वसूली गई राशि	जमा राशि	कम जमा राशि
2013–14	313501 से 313600	2890	8705	215
	313601 से 313700	3000		
	313701 से 313800	3000		
	176	30		
2014–15	566031 से 566100	3500	11000	1600
	566101 से 566200	5000		
	566201 से 566300	4100		
2015–16	566301 से 566400	4985	29730	420

566401 से 566500	4495
566501 से 566600	5780
566601 से 566700	5690
566701 से 5668000	5500
566801 से 566874	3700

कुल कम जमा राशि ₹2235

3. भू–राजस्व की वसूली न करना :–

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में भू–राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू–राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ–साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6. अनुदान ₹6.41 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1'** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹640829 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

7. निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कर्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट–2 में दिए गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम

2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे, जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.11 के स्टॉक, स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) व 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं (निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'3'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹310864 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. ₹3.33 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 70 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण सम्बन्धित औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट–4 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹332664 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

10. ₹0.51 लाख व्यय सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :–

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान पंचायत निधि से विभिन्न दिनांकों को किए गए थे, लेकिन इन भुगतानों से सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अभिलेख उपलब्ध न करवाना पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न

करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹51325 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	निधि का नाम	वा0 सं0	राशि	रोकड़ वही पृ0 सं0	कार्य का नाम
1.	MNREGA	बिल सं0 : 10, दिनांक 9.4.14	20000	—	C/o Land Development at Dalli land Ward-2
2.	—	बिल सं0 : 312, दिनांक 13.6.14	6750	—	-do-
3.	—	बिल सं0 : 5709, दिनांक 29.4.14	12500	—	-do-
4.	—	बिल सं0 : 5831, दिनांक 14.5.14	2700	—	-do-
5.	—	बिल सं0 : 79, दिनांक 11.6.14	9375	—	-do-
		कुल राशि	**₹51325**		

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1.	खाता वहियां तैयार न करना
2.	अनुदान रजिस्टर
3.	भण्डार रजिस्टर
4.	यात्रा भत्ता बिल का जांच–पड़ताल रजिस्टर
5.	गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना
6.	रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना
7.	अग्रिम रजिस्टर तैयार न करन
8.	परिवार रजिस्टर का उचित रख–रखाव न करना

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. **लघु आपत्ति विवरणिका :—** इसे अलग से जारी नहीं किया गया। लद्यु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया है।

14. **निष्कर्ष :—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(2)18/2016, खण्ड—1—5438—5441 दिनांकः 14.10. 2016 , शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. सचिव, ग्राम पंचायत गदियाड़ा, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—09 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

हस्ता/—
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.